

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या- 33/2021

गोवर्धन साव वगै० बनाम् तारा देवी

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

02-09-2022

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी गोवर्धन साव, वो० मनोज प्रसाद गुप्ता उर्फ शिव प्रसाद, दोनों के पिता-स्व० बाढ़ो साव, ग्राम-बडगाँव, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या-07/2019-20 तारा देवी बनाम् गोवर्धन साव वगै० में दिनांक-18.03.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-भुईयांडीह, थाना न०-170 थाना-माण्डू, जिला रामगढ़ के खाता न०-11 प्लॉट न०-88 रकवा-0.33¼ ए० प्लॉट नं०-108, मध्ये रकवा-0.18¼ ए० प्लॉट नं०-109 मध्ये रकवा-0.02½ ए० प्लॉट नं०-110 मध्ये रकवा-0.03¼ ए० प्लॉट नं०-112 मध्ये रकवा-0.03¼ ए० कुल मध्ये रकवा-0.60½ ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि भूमि मौजा-भुईयांडीह, थाना न०-170 थाना-माण्डू, जिला रामगढ़ के खाता न०-11 प्लॉट न०-88 रकवा-0.33¼ ए० प्लॉट नं०-108, मध्ये रकवा-0.18¼ ए० प्लॉट नं०-109 मध्ये रकवा-0.02½ ए० प्लॉट नं०-110 मध्ये रकवा-0.03¼ ए० प्लॉट नं०-112 मध्ये रकवा-0.03¼ ए० कुल मध्ये रकवा-0.60½ ए० भूमि सर्वे खतियान गुरुदयाल करमाली के नाम से आदिवासी रैयती खाते की भूमि है, द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के आधार पर दावा करते हैं। अंचल अधिकारी, माण्डू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा-भुईयांडीह पंजी II के पृष्ठ संख्या-16/I पर लोचन करमाली के नाम से जमाबंदी कायम है। गैर आदिवासी का छेदी साव के नाम जमाबंदी कायम है। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया है की निबंधित केवाला के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा दाखिल खारिज से जमाबंदी कायम हो कर रसीद निर्गत किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा यह

भी बतलाया गया की आदिवासी द्वारा विभिन्न न्यायालय में भू-वापसी वाद दायर किये लेकिन सभी न्यायालय में उनका आवेदन अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। उक्त भूमि पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू-वापसी वाद संख्या-502/2013-74 लोचन करमाली बनाम् द्वारिका प्रसाद वगै० वाद दायर किया गया जिसमें भू-वापसी का आवेदन खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध में उपायुक्त, हजारीबाग के न्यायालय में भू-वापसी अपील (रेभेन्यू) संख्या-133/75 लोचन करमाली बनाम् द्वारिका प्रसाद वगै० दायर किया गया जिसमें भू-वापसी का आवेदन निर्धारित 12 वर्षों के पश्चात दायर किये जाने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में रिभीजन सूट संख्या-40/1979 दायर किया गया उस आवेदन को भी निर्धारित 12 वर्षों के पश्चात दायर किये जाने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया। उक्त सभी आदेशों में आवेदन खारिज करने का कारण बेदखली की अवधि 12 वर्षों से अधिक बताया गया है। लेकिन गैर आदिवासी की कायम जमाबंदी की वैधता के संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गैर आदिवासी के जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से खुली है अर्थात् C.N.T. Act का उलंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-07/2019-20 तारा देवी बनाम् गोवर्धन साव वगै० में दिनांक 18.03.2021 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46-4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीनिध्या
02.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवीनिध्या
02.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।